आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर मेदिनीनगर|

दा० खा० वाद सं०- XV .17-18

22

6.8.19

विनय कुमार सिंह ..... अपीलार्थी

बनाम

विनोद कुमार शुक्ला एवं अन्य - विपक्षी

आदेश

यह दा०खा० अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर द्वारा दा० खा० वाद स० 810/15-16 में दिनांक 26.10.15 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है | उक्त आदेश के द्वारा ग्राम - टिकुलिया, थाना – मेदिनीनगर के खाता न० -58 प्लाट 478/4 रकबा 1.00 एकड़ भूमि में नामांतरण के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है तथा नामांतरण करने मे इंकार कर दिया है | अपील अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी | तथा विपक्षी को सूचना निर्गत की की गयी |

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना|

अपीलार्थी का संक्षेप में मुख्य दावा है की अपीलार्थी ने

विपक्षी स० 1 एवं 2 विनोद कुमार शुक्ला एवं विजय शुक्ला पिता स्व नर्वदेश्वर शुक्ला से ग्राम टिकुलिया के खाता न० 58 प्लाट न० 478/4 रकबा 1.00 एकड़ भूमि निबंधित स० 7567 दिनांक 26.8.15 के माध्यम से क्रय किया है और क्रय की तिथि से दखल कब्जा में है | इसके पूर्व भूमि पर विक्रेता का दखल कब्ज़ा था | विपक्षी को भूमि प्राप्त होने का जहाँ तक प्रश्न है , प्रश्नगत भूमि पार्टीसन सूट न० -9/1913 एवं पार्टीसन सूट न०- 71/75 की भूमि है|पार्टीसन सूट न०9/13 में 8 पाई हिस्सा शुक्ला का है जिसमे प्रश्नगत भूमि संम्मिलित है जानकी राम वगैरह को आवंटित हुई जमींदारी उन्मूलन के समय शुक्ला जानकी राम वगैरह नी बी .एल.आर. एक्ट कि धारा 3 b के अंतगर्त जमीदारी रिटर्न दाखिल किया |जमींदारी रिटर्न एवं दखल कब्ज़ा के आधार पर शुक्ला जानकी राम वगैरह के नाम से सूओ –मोटो सेक्शन न० 5 /1973 -74 से धारा 5,6,7 के अंतगर्त प्रश्नगत भूमि का माल निर्धारण होकर जमाबंदी कायम हुआ है और माल गुजारी रशीद निर्गत होने लगी है | तत पश्चात पार्टीसन सूट न० -71/75 बचू राम बनाम दामोदर शुक्ला वगैरह के नाम से दायर हुआ जिसमे प्रश्नगत भूमि शुक्ला जानकी राम वगैरह को 8 पाई जिसमे प्रश्नगत प्लाट 478/4 रकबा 2.57 ⅓ एकड़ भूमि सम्मिलित है ,आवंटित हुआ |विपक्षी स० 1 एवं 2 जो अपीलार्थी के विक्रेता है , हिस्सेदार मानिक शुक्ला के पोता है तथा उनके नाम से दा 0 खा० वाद स० -1446/07.08 से जमाबंदी कायम होकर मालगुजारी रशीद निर्गत हो रही है

| अपीलार्थी का दावा है की अपीलार्थी के विक्रेता को प्रश्नगत भूमि रैयती हक़ प्राप्त है तथा अपीलार्थी ने उनसे प्रश्नगत भूमि प्राप्त किया है | तथा दखल कब्ज़ा में है | अपीलार्थी का दावा है की अंचल अधिकारी द्वारा अपीलार्थी एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कागजात का ठीक से बिना समीक्षा किये एवं प्रश्नगत भूमि का दखल कब्ज़ा के बिंदु पर स्वयं बिना जांच किये ही अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है |दा० खा० के लिए दखल कब्ज़ा एवं जमाबंदी का होना महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर अपीलार्थी के नाम से दाखिल ख़ारिज स्वीकृत करने का आदेश देना अपेक्षित है |

विपक्षी का दावा है की प्रश्नगत भूमि पार्टीसन सूट न० 9/1913 एवं पार्टीसन सूट न० 71/75 की विषय वस्तु है जो अपीलार्थी के पूर्वज को प्राप्त है | अपीलार्थी के पूर्वज ने जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदारी रिटर्न दाखिल किया जिसके आधार पर पूर्वज के नाम से सूओ –मोटो केस न० 5/73-74 से माल निर्धारण हुआ ततः जमाबंदी कायम होकर मालगुजारी रशीद निर्गत हुआ | विपक्षी को उतराधिकार में प्रश्नगत भूमि प्राप्त है तथा दा० खा० वाद स० 1446 /07.08 से नामांतरण होकर जमंबंदी चल रही है | विपक्षी ने अपना रैयती हक का उपयोग करते हुए प्रश्नगत भूमि को अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री द्वारा अंतरित कर दखल कब्ज़ा दे दिया है | जबकि अंचल अधिकारी स्वय बिना स्थलीय जांच एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कागजात ही ठीक से बिना समीक्षा किये अपीलार्थी का दाखिल ख़ारिज

का आवेदन अस्वीकृत कर दिया है।

निम्न न्यायलय का मूल अभिलेख एवं अभिलेख के साथ संलग्न जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया । ह० कर्मचारी /अ० नि० के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है की प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी विक्रेता विनोद शुक्ला एवं विजय शुक्ला के नाम से चल रही है तथा प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी / क्रेता का दखल कब्ज़ा है। दा ० खा० के लिए विक्रेता एवं जमाबंदी महत्वपूर्ण बिंदु है। विपक्षी द्वारा निम्न न्यायलय में दाखिल कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है की प्रश्नगत भूमि पार्टीसन सूट न० 9/13 एवं 71/75 की विषय वदतु है जो विपक्षी के पूर्वज के हिस्से में आवंटित बताई गयी है तथा सूमो –मोटो केस न० 5/73-74 से विपक्षी के पूर्वज के नाम से बी,एल.आर एक्ट की धारा 5,6,7 के अंतगर्त माल निर्धारण हुआ है| बी,एल.आर एक्ट की धारा 5,6,7के अंतगर्त पारित आदेश न्यायिक आदेश है जो धारा 8 के अंतगर्त दायर अपील से रद्द हो सकता है । अंचल अधिकारी द्वारा उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर आदेश पारित करते समय विचार नहीं किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर द्वारा दा० खा ० वाद स० 810/15-16 दिनांक 26.10.15 का पारित आदेश निरस्त करते हुए आभिलेख अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर को रिमांड बैक किया जाता है ,तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है की उपरोक्त बिन्दुओ पर विचार करने कागजात की ठीक से

समीक्षा करने तथा दखल कब्ज़ा में बिंदु पर स्वय स्थलीय जांच के पश्चात दा० खा०के सम्बन्ध में नए सिरे से से निर्णय लेते हुए आदेश पारित करना सुनिश्चित करे |इस निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है | आवेदक का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है | आदेश का उद्धरण अंचल अधिकारी सदर को भेजे |

लेखापीत एवं संशोधित

6/8/19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर

6/8/19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर